रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215977 CG-DL-E-06022020-215977

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] No. 73] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 2020/माघ 16, 1941 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2020/MAGHA 16, 1941

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 5 फरवरी. 2020

सा.का.नि. 91(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और सहायक निदेशक, भर्ती नियम, 2006, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2007, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2010, केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहायक अनुसंधान अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011, केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशुचिकित्सा अधिकारी (समूह 'क') पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा भर्ती नियम, 2012, संगरोध अधिकारी (समूह 'क') पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा, कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग भर्ती नियम, 2012, केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, निदेशक (समूह 'क') भर्ती नियम, 2013, केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, हैस्सरघट्टा, निदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2014, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा, वरिष्ठ उत्पादन अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2014, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, सहायक आयुक्त (पशुपालन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन आयुक्त (पशुपालन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन

736 GI/2020 (1)

विभाग, पशुधन अधिकारी (समूह 'क') पद भर्ती नियम, 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, उपायुक्त (पशुपालन) समूह 'क' भर्ती पद नियम, 2018, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) समूह 'क' भर्ती पद नियम 2018, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 को जहां तक उसका संबंध प्रगतिशील सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (डीएसीपी) स्कीम के अंतर्गत आच्छादित किये गये पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में, पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन प्रगतिशील सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्कीम में आने वाले पशु चिकित्सक के पदों की भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम- पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स के स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)
- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो भी कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और आयोग के साथ परामर्श करके, आदेश द्वारा, इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 11 में वर्णित अर्हता शर्तों को पूरा करने वाले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों के उपयुक्त अधिकारियों से सहायक आयुक्त (स्तर-11), उपायुक्त (स्तर-12), और संयुक्त आयुक्त (स्तर-13) के ग्रेड में, सभी में इक्कीस (21) से अधिक पदों पर नियुक्ति नहीं करेगी।
- (2) प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा और अन्य नियम एवं शर्तें समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होंगी।
- **5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति
- (क) जिसने, ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग, के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछले वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्टिक्स में	चयन या अचयन
नाम			स्तर	पद
1	2	3	4	5
संयुक्त	84* (2020)	साधारण केंद्रीय	स्तर-13	चयन पद
आयुक्त	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	सेवा, ग्रुप 'क',	(1,23,100-	
	सकता है।	राजपत्रित,	2,15,900 रु.)	
	टिप्पण 1: पदों का संस्थानवार आबंटन इस	अननुसचिवीय	2,10,000 (.)	
	प्रकार होगा:	- ખેતાપુરતા વવાવ		
	1. मुख्यालय 38			
	2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 04			
	3. राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान 13			
	4. केन्द्रीय पशु रजिस्ट्रीकरण स्कीम 02			
	5. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण			
	संस्थान 05			
	6. पशु संगरोध तथा प्रमाणन सेवाएं 06			
	7. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म 12			
	8. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन 04			
	टिप्पण 2: पशुधन अधिकारी का पद पशुधन			
	अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त और			
	संयुक्त आयुक्त के ग्रेडों में संयुक्त रूप से			
	स्वीकृत कुल 84 पदों के अंदर संचालित होगा।			

सीधी भर्ती किये	सीधी भर्ती किए जाने	सीधी भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
जाने वाले व्यक्तियों	वाले व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए विहित आयु और	,
के लिए आयु सीमा	लिए विहित शैक्षिक	शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों	
	एवं अन्य अहर्ताएं	की दशा में लागु होंगी या नहीं	
6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /
सीधे होगी या प्रोन्नति	आमेलन किया जाएगा।
द्वारा या प्रतिनियुक्ति या	
आमेलन द्वारा तथा	
विभिन्न पद्धतियों द्वारा	
भरी जाने वाली रिक्तियों	
की प्रतिशतता	
10	11
रिक्ति से संबंध जोडे	प्रोन्नति:
बिना स्व–स्थाने आधार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) में ऐसा उप आयुक्त जिसने ग्रेड में चार वर्ष की
पर 100 प्रतिशत	नियमित सेवा की हो।
प्रोन्नति द्वारा	
	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित):
	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या
	मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो:
	(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं: या
	(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) या समतुल्य में मूल काडर या विभाग में
	नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो: और
	(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:

आवश्यक:

- (i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री
- (ii) भारतीय पश्चिकित्सा परिषद या राज्य पश्चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण
- (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों या कानूनी संगठनों या स्वशासी निकायों या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों से गोपशु और पशुधन विकास या कुक्कुट या पशु स्वास्थ या मांस या मांस उत्पादों में दस वर्षों का अनुभव हो।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना					तेयों में संघ लोक	ह सेवा
40		आयाग	से परामर्श वि			
12		0 0	~ ~~~	13		(Q)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार विमर्श लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	करन क				प्रतिनियुक्ति लेत है) पर निर्	
, ,		अल्पका केटौरा	ालक सावदा च संघ लोक	साम्मा	लत ह <i>)</i> पर ानर् आयोग से पराम	युक्त करना र्शकरना
1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग	-अध्यक्ष	आवश्य		त्तपा	गायाग त पराम	ारा करमा
2. संयुक्त सचिव (पशुपालन)	-सदस्य	जायरवर	ان کا			
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन)	-सदस्य					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2) 84* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण- 1: संस्थान-वार पदों का आवंटन निम्नानुसार है: 1. मुख्यालय 38 2. केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 04 3. राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान 13 4. केंद्रीय पशु रजिस्ट्रीकरण स्कीम 02 5. केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान 05 6. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं 06 7. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म 12 8. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म 12 8. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन 04 टिप्पण 2: पशुधन अधिकारी का पद पशुधन अधिकारी, सहायक आयुक्त, उप आयुक्त, संयुक्त आयुक्त के ग्रेडों में कुल 84 सम्मिलित संस्वीकृत संख्या के भीतर संचालित किया जाना होगा।	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	(4) स्तर 12 (78,800- 2,09,200 रु.)	(5) चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
रिक्ति से संबंध जोड़े	प्रोन्नतिः
बिना स्वस्थाने	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.) के ग्रेड में ऐसा सहायक आयुक्त जिसने पांच वर्ष की
आधार पर 100	नियमित सेवा की हो।
प्रतिशत प्रोन्नति के	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प-कालिक संविदा सम्मिलित हैं) :
द्वारा	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या
	विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के अंतर्गत
	ऐसे अधिकारी:-
	(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या
	(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रु.) या समतुल्य मूल संवर्ग या विभाग में
	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और
	(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते होः
	आवश्यक :
	(i) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की प्रथम अनुसूची और द्वितीय
	अनुसूची में सूचीबद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री;
	(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठनों, स्वशासी निकायों,
	संस्थानों या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित संगठनों से गोपशु और पशुधन विकास या कुक्कुट या
	पशु स्वास्थ्य या मांस और मांस उत्पादों में आठ वर्षों का अनुभव हो।
	वांछनीयः
	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री।
	साखा म लातकात्तर । इग्रा।

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार व	करने के लिए) जिसमें	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसमें
निम्नलिखित होंगे:-		अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) पर नियुक्त
1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग	- अध्यक्ष	करने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से
2. संयुक्त सचिव (पशुपालन)	- सदस्य	परामर्श करना आवश्यक है।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन)	- सदस्य	

1	2	3	4	5
सहायक	84* (2020)	साधारण केंद्रीय सेवा,	स्तर-11	चयन पद
आयुक्त	'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	समूह 'क', राजपत्रित,	(67,700-	
	सकता है। टिप्पण 1: पदों का संस्थानवार आबंटन इस	अननुसचिवीय	2,08,700 रु.)	
	प्रकार होगा:			
	1. मुख्यालय – 38			
	2. केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 04			
	3. राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान 13			
	4. केंद्रीय पशु रजिस्ट्रीकरण स्कीम 02			
	5. केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण			
	संस्थान 05			
	6. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं 06			
	7. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म 12			
	8. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन 04			
	टिप्पण 2: पशुधन अधिकारी का पद पशुधन			
	अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त और			
	संयुक्त आयुक्त के ग्रेडों में संयुक्त रूप से			
	संस्वीकृत कुल 84 पदों के भीतर संचालित			
	होगा।			

6

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और यादृच्छिक
			नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र के सहायक
			निदेशक से सहायक आयुक्त के स्तर पर प्रोन्नति के
			लिए एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि अपेक्षित है।

10	11
रिक्ति से संबंध जोडे बिना स्व-स्थाने आधार	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.) में ऐसा पशुधन अधिकारी जिसने ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो।
पर 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	टिप्पण: केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र में, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख तक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.) का पद धारण करने वाले सहायक निदेशक, जो पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अथवा राज्य पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण की अनिवार्य अर्हता रखते
	है, को भी, ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा पूरी करने पर, सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नित के लिए, विचार किया जाएगा। प्रितिनियुक्ति (अल्पाविध संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो,
	(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं: या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.) में या समतुल्य में मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में नियमित आधार पर चार वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों: आवश्यक:
	(i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री (ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद या राज्य पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण; और (iii) गोपशु और पशुधन विकास या कुक्कुट या पशु स्वास्थ्य या मांस या मांस उत्पादों में पांच
	वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय अहर्ता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में किसी शाखा में डॉक्टरेट डिग्री।

12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पशुधन अधिकारी के पद को धारण करने वाले	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि
पदधारियों की प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए):-	संविदा सहित) पर अधिकारी
ी. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग -अध्यक्ष -अध्यक्ष	की नियुक्ति करते समय अथवा
1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग -अध्यक्ष	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन
2. संयुक्त सचिव (पशुपालन) -सदस्य	और यादृच्छिक नमूना कुक्कुट
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य	निष्पादन परीक्षण केंद्र में
	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 7
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सहायक निदेशक के पद को धारण करने वाले पदधारी की	(44,900-1,42,400 रु.) में
प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए):-	सहायक निदेशक का पद
1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष	धारण करने वाले पदधारी की
,	प्रोन्नति पर विचार करने के
2. संयुक्त सचिव (पशुपालन) -सदस्य	लिए संघ लोक सेवा आयोग से
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य	परामर्श करना आवश्यक
5. 43.4 4.4 (4.4.4)	होगा।

समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (सहायक निदेशक के प	द से प्रोन्नति की पुष्टि के संबध में
विचार करने के लिए):- 1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग	-अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (पशुपालन)	-सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन)	-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पशुधन अधिकारी	84*(2020)	(3) साधारण केंद्रीय सेवा समूह- 'क' राजपत्रित, और अननुसचिवीय	स्तर 10 (56,100- 1,77,500 रु.) वेतन	(5) लागू नहीं होता।	(6) पैतीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारत करने के लिए निर्णाक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए अनुसार होगी।	

[PART II—SEC. 3(i)]

<u> </u>	1.	IIE GAZETT	E OI II (DII	I . LATITO	[FART II—SEC. 3(
					प्राप्त संस्थानों से
					गोपशु और पशुधन
					विकास या पशु
					स्वास्थ्य या कुक्कुट या
					मांस और मांस
					उत्पादों में तीन वर्ष
					का अनुभव।
					टिप्पण 1 : अर्हतांए,
					अन्यथा सुअर्हित
					अभ्यर्थियों के मामले
					में, उन कारणों के लिए
					जो लेखबद्ध किए
					जाएं, जो संघ लोक
					सेवा आयोग के
					विवेकानुसार शिथिल
					की जा सकती हैं।
					टिप्पण 2: अनुभव
					संबंधी अर्हता(एं) उन
					कारणों के लिए जो
					लेखबद्ध किए जाएं
					संघ लोक सेवा आयोग
					के विवेकानुसार
					अनुसूचित जातियों
					और अनुसूचित
					जनजातियों के
					अभ्यर्थियों के मामले
					में तब शिथिल की जा
					सकती हैं जब चयन के
					किसी प्रक्रम पर संघ
					लोक सेवा आयोग की
					यह राय हो कि उनके
					लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित
					भरन के लिए अपक्षित अनुभव रखने वाले उन
					अनुभव रखन वाल उन समुदायों के अभ्यर्थियों
					के पर्याप्त संख्या में
					क पयात संख्या म उपलब्ध होने की
					उपलब्ध हान का संभावना नहीं है।
					त्रमाथमा महा हा

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की		भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
दशा में लागू होंगी।			
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
		टिप्पण1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी	
		या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में	
		एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने	
		के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के	
		निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के	
		आधार पर भरी जा सकेंगी।	

(क)(i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित	
आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: और	
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती	
किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक	
अर्हताएं और अनुभव है।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम	
तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी सरंचना	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टिकरण समिति में (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के	पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से
लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे:-	परामर्श करना आवश्यक है।
संयुक्त सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष	
निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन) – सदस्य	
संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) - सदस्य	

[फा. सं. सी-12034/6/2018-प्रशा.l] जी. एन. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2020

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Institute of Animal Health, Baghpat, Additional Director, Joint Director and Assistant Director, Recruitment Rules, 2006, Central Poultry Development Organisation and Random Sample Poultry Performance Testing Centre (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2007, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Sheep Breeding Farm, Hissar (Group-A Posts) Recruitment Amendment Rules, 2010, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Assistant Research Officer (Group A Post) Recruitment Rules, 2011, Central Cattle Breeding Farms, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Veterinary Officer (Group 'A') Recruitment Rules, 2012, Regional Officer (Group 'A') Animal Quarantine and Certification Services Recruitment Rules, 2012, Quarantine Officer Group 'A' Animal Quarantine and Certification Services, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Recruitment Rules, 2012, Central Cattle Breeding Farms, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Director (Group 'A') Recruitment Rules, 2013, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Technical Officer (Group A Post) Recruitment Rules, 2013, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hessarghatta, Director, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2014, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hessarghatta, Senior Production Officer, Group A Post, Recruitment Rules, 2014, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Assistant Commissioner (Animal Husbandry) Group 'A' posts Recruitment Rules, 2017, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Livestock Officer (Group 'A') post Recruitment Rules, 2018, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Deputy Commissioner (Animal Husbandry) Group 'A' post Recruitment Rules, 2018, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Joint Commissioner (Animal Husbandry) Group 'A' post Recruitment Rules, 2018, Agriculture and Farmers Welfare, Central Herd Registration Scheme, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2018, in so far as they relates to the posts covered under Dynamic Assured Career Progression Scheme except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of

recruitment of veterinary posts covered under Dynamic Assured Career Progression Scheme under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, in the Department of Animal Husbandry and Dairying, namely, –

- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry and Dairying, Veterinary Posts Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The number of posts, their classification and level in pay matrix.— The number of post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Appointment on Deputation (including short term contract) .—
- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill not more than twenty one posts in all, in the grades of Assistant Commissioner (Level 11), Deputy Commissioner (Level 12) and Joint Commissioner (Level 13) from suitable officers of the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory organisation or autonomous bodies fulfilling the eligibility conditions mentioned in Column (11) of the schedule annexed to this notification.
- (2) The period of deputation, maximum age limit for appointment on deputation and other terms and conditions shall be as per the instructions issued by Department of Personnel and Training from time to time.
- **5. Disqualification.**—No person.-
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

BEHEBELE							
Name of the	Number of posts.	Classification.	Level in	Whether	Age limit	Educational	
post.			pay	selection	for direct	and other	
			matrix.	post or	recruits.	qualification	
				non-		required for	
				selection		direct	
				post.		recruits.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Joint	84*(2020)	General	Level-13	Selection	Not	Not	
Commissioner	*Subject to	Central	(Rs.	post.	applicable	applicable	
	variation dependent	Service,	1,23,100-				
	on workload.	Group 'A',	2,15,900)				
	Note 1: Institution-	Gazetted,					
	wise allocation of	Non-					
	posts will be as	Ministerial.					

und	ler:			
	Headquarter -38			
	Central Sheep			
	Breeding Farm -04			
	National Institute of			
	Animal Health -13			
	Central Herd			
	Registration			
	Scheme -02			
	Central Frozen			
	Semen Production			
	and Training			
	Institute -05			
	Animal Quarantine			
	and Certification			
	Services -06			
7.	Central Cattle			
	Breeding Farm-12			
	Central Poultry			
	Development			
	Organization -04			
No	te 2: The post of			
	restock Officer is			
to	be operated in the			
	des of Livestock			
	icer, Assistant			
	mmissioner,			
	putyCommissioner			
and				
Con	mmissioner within			
the	total combined			
san	ctioned strength of			
84.				

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.
apply in the case of promotees.		by various methods.	
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	100 % by promotion on in-situ basis without linkage to vacancy.	Promotion: Deputy Commissioner in level-12 (78800-209200) in the pay matrix with four years regular service in the grade. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12

12

(Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix or equivalent,
in the parent cadre or department; and
(b) possessing the following educational qualifications
and experience:
Essential:
(i) Bachelor's Degree in Veterinary Science and
Animal Husbandry as listed in the First
Schedule and Second Schedule of the Indian
Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);
(ii) Registration in the Veterinary Council of
India or Veterinary Council of States.
(iii) Ten years' experience in cattle and livestock
development or poultry or animal health or
meat and meat products from the Central
Government or State Government or Union
territory Administration or statutory
organisation or autonomous bodies or
institutes recognised by the Government.
Desirable:-
Post graduate degree in any branch of the
Veterinary Science and Animal Husbandry from
the recognised University or institute.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering prorconsisting of:- 1 Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying 2 Joint Secretary (Animal Husbandry) 3 Joint Secretary (Administration)	-Chairperson; -Member; -Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy	84*(2020)	General	Level-12	Selection	Not	Not
Commissioner.	*Subject to variation	Central	(Rs 78,800-	post.	applicable	applicable.
	dependent on	Service,	2,09,200).			
	workload.	Group 'A',				
	Note 1: Institution-	Gazetted,				
	wise allocation of posts	Non-				
	will be as under:	Ministerial.				
	1. Headquarter - 38					
	2. Central Sheep					
	Breeding Farm- 04					
	3. National Institute of					
	Animal Health - 13					
	4. Central Herd					
	Registration					
	Scheme - 02					
	5. Central Frozen					
	Semen Production					
	and Training					
	Institute - 05					
	6. Animal Quarantine					
	and Certification					
	Services - 06					
	7. Central Cattle					
	Breeding Farm - 12					

	1	ı	
8. Central Poultry			
Development			
Organization - 04			
Note 2: The post of			
Livestock Officer is to			
be operated in the			
grades of Livestock			
Officer, Assistant			
Commissioner, Deputy			
Commissioner and			
Joint Commissioner			
within the total			
combined sanctioned			
strength of 84.			

(9)	(10)	(11)
Not	100 % by promotion	Promotion:
applicable	on in-situ basis	Assistant Commissioner in level-11 (Rs. 67700-208700
	without linkage to	in the pay matrix with five years regular service in the
	vacancy.	grade.
		Deputation (including short-term contract):
		Officers under the Central Government or Stat
		Governments or Union territory Administration or publi
		sector undertakings or Universities or recognise
		research institutions or autonomous bodies or statutor
		organizations, -
		(a)(i) holding analogous posts on regular basis in th
		parent cadre or department; or
		(ii) with five years' regular service in the grad
		rendered after appointment thereto on a regular basis i
		level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix of
		equivalent, in the parent cadre or department; and
		(b) possessing the following educational qualification
		and experience:
		Essential:
		(i) Bachelor's Degree in Veterinary Science an
		Animal Husbandry as listed in the First Schedul
		and Second Schedule of the Indian Veterinar
		Council Act, 1984 (52 of 1984);
		(ii) eight years' experience in the cattle and livestoc
		development or poultry or animal health or mea
		and meat products from the Central Government
		or the State Government or Union territor
		Administration or Statutory organisation of
		autonomous bodies or institutes recognised b
		the Government.
		Desirable:-
		Post Graduate Degree in any branch of Veterinar
		Science and Animal Husbandry from recognise
		University or institute.
	Not	Not applicable 100 % by promotion on in-situ basis without linkage to

1 Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying - Chairperson; 2 Joint secretary (Animal Husbandry) - Member; 3 Joint Secretary (Alari Member)	ultation with the Union c Service Commission sary while appointing an er on deputation (including term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant	84*(2020)	General	Level 11	Selection	Not	Not
Commissioner	*Subject to	Central	(Rs. 67700-	post.	applicable.	applicable.
	variation dependent	Service,	208700).			
	on workload.	Group 'A',				
	Note 1: Institution-	Gazetted,				
	wise allocation of	Non-				
	posts will be as	Ministerial.				
	under:					
	1. Headquarter - 38					
	2. Central Sheep					
	Breeding Farm -04					
	3. National Institute					
	of Animal					
	Health - 13					
	4. Central Herd					
	Registration					
	Scheme -02					
	5. Central Frozen					
	Semen Production					
	and Training					
	Institute - 05					
	6. Animal Quarantine					
	and Certification					
	Services - 06					
	7. Central Cattle					
	Breeding Farm- 12					
	8. Central Poultry					
	Development					
	Organization - 04					
	Note 2: The post of					
	Livestock Officer is					
	to be operated in the					
	grades of Livestock					
	Officer, Assistant					
	Commissioner,					
	Deputy					
	Commissioner and					
	Joint Commissioner					
	within the total					
	combined sanctioned					
	strength of 84.					

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	1 year probation is required for promotes from the level of Assistant Director from Central Poultry Development Organisation and Random Sample Poultry Performance Testing Centre to Assistant Commissioner.	promotion on in-situ basis without	Promotion: Livestock Officer in level-10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the pay matrix with four years regular service in the Grade. Note: The incumbents holding the post of Assistant Director in Level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix in the Central Poultry Development Organisation and Random Sample Poultry Performance Testing Centre, as on the date of notification of these rules, with essential qualification of Bachelor's Degree in Veterinary Science and registration with Veterinary Council of India or State Veterinary Council, would also be considered for promotion to the post of Assistant Commissioner, on completion of eight years of regular service in the grade.

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or public sector undertakings or Universities or recognized research institutions or autonomous bodies or statutory organisations, -

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 10 (Rs. 56,100 1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

- (i) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry as listed in the First Schedule and Second Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);
- (ii) registration in the Veterinary Council of India or Veterinary Council of the States; and
- (iii) five years experience in the cattle and livestock development or poultry or animal health or meat or meat products.

Desirable Qualifications:

Doctorate Degree in any branch of Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognized University or Institution.

(12) (13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion of the incumbents holding the post of post of Livestock Officer):-

- Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying —Chairperson;
- 2. Joint Secretary (Animal Husbandry.) Member;
- 3. Joint Secretary (Administration) Member.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion of the incumbents holding the post of Assistant Director):-

Chairperson or Member, Union Public Service
 Commission

- Chairman;

2. Joint Secretary (Animal Husbandry.)

- Member;

2. John Secretary (Allimai Husbandry.)

3. Joint Secretary (Administration)

- Member.

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of promotes from the post of Assistant Director):-

- 1. Secretary, Department of Animal Husbandry and
- 2. Joint Secretary (Animal Husbandry)
- Member;

- Chairperson;

3. Joint Secretary (Administration)

Dairying

- Member.

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) and for considering promotion of incumbents holding the post of Assistant Director in Level 7 (Rs. 44,900 – 1,42,400) in the pay matrix in the Central Poultry Development Organisation and the Random Sample Poultry Performance Testing Centre.

		TIE GAZETTE	OI II IDII I	. Litita tota	311 W HC 1	[FART II—SEC. 3(I)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Livestock	84*(2020)	General	Level-10	Not-	Not exceeding	Essential
Officer.	*Subject to	Central	(Rs.	applicable.	thirty-five years	Qualification:
	variation	Service,	56,100-		(relaxable for	(i) A Bachelor's
	dependent on	Group 'A',	1,77,500).		Government	Degree in the
	workload.	Gazetted,			servants up to	Veterinary Science
	Note1: Institution-	Non-			five years in	and Animal
	wise allocation of	Ministerial.			accordance	Husbandry as
	posts will be as				with the	listed in the First
	under:				instructions or	Schedule and
	 Headquarter- 38 Central Sheep 				orders issued by the Central	Second Schedule of the Indian
	Breeding				Government.)	Veterinary Council
	Farm - 04				Government.)	Act, 1984 (52 of
	3. National				Note: The	1984) from a
	Institute of				crucial date	recognised
	Animal				for	university or
	Health -13				determining	institution;
	4. Central Herd				the age-limit	(ii) registration in
	Registration				shall be as	the Veterinary
	Scheme - 02				advertised by	Council of India or
	5. Central Frozen				the Union	Veterinary Council
	Semen				Public Service	of States; and
	Production and				Commission.	(iii) three years'
	Training Institute - 05					experience in the Cattle and
	6. Animal					Livestock
	Quarantine and					Development or
	Certification					Animal Health or
	Services - 06					Poultry or Meat
	7. Central Cattle					and Meat Products
	Breeding					from Central
	Farm - 12					Government or
	8. Central Poultry					State Governments
	Development					or Union territory
	Organization -04					Administration or
	Note 2: The post					statutory
	of Livestock					organization or autonomous
	Officer is to be					bodies, institutes
	operated in the					recognised by the
	grades of					Government.
	Livestock Officer,					
	Assistant					Desirable
	Commissioner,					Qualifications: -
	Deputy					(i) Master's Degree
	Commissioner and					in Veterinary
	Joint					Science from a
	Commissioner within the total					recognized university or
	combined					university or institute;
	sanctioned					(ii) Two years'
	strength of 84.					additional
						experience in the
						Cattle and
						Livestock
						Development or
						Animal Health or
						Poultry or Meat
						and Meat Products from the Central
						Government or
	<u> </u>		l			10 verillient of

		State Governments or Union territory Administration or statutory organizations or autonomous bodies or institutes recognized by the
		Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service
		Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s)
		regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be
		recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection
		the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the
		requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	One year.	By direct recruitment.	Not applicable.
applicable.		Note 1: Vacancies caused by the incumbent	
		being away on deputation or long illness or	
		study leave or under other circumstances for	

18

a duration of one year or more may be filled	
on deputation from officers under the	
Central Government,-	
(a) holding analogous posts on regular basis	
in the parent cadre or department; and	
(b) possessing the educational qualifications	
and experience prescribed for direct recruits	
under column (7).	
Note 2 : The maximum age-limit for	
appointment by deputation shall be not	
exceeding fifty six years as on the closing	
date of receipt of applications.	

(12)	(13)	
Departmental Confirmation Committee (for conconfirmation) consisting of:-	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for	
Joint Secretary (Administration)	- Chairperson;	filling up of post.
Director or Deputy Secretary (Administration)	- Member	
Joint Commissioner (Animal Husbandry)	- Member.	

[F. No. C-12034/6/2018-Admn.I]

G. N. SINGH, Jt. Secy.